

तारीख हुक्म	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित होने वाली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत (अन्तर्गत धारा 19 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1967) दिनांक 13.07.2024 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.07.2024	आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 332/2022 सीआईएस— 7018/2022	
	आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लि. Vs. न्यू जय शंकर ट्रांसपोर्ट कम्पनी	
	लोक अदालत अध्यक्ष का नाम	श्री राकेश गोरा, अति० जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कम-3, जयपुर महानगर प्रथम
	बेंच नम्बर	03
	सदस्य का नाम	श्रीमती रितु अग्रवाल
	:: आदेश :: दिनांक 13.07.2024 राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिपत्र क्रमांक 01/2015 दिनांक 24.01.2015, रालसा के पत्र क्रमांक एफ. 4 (214) / रालसा / विशेष सचिव / एन.एल.ए.-2/2024/2845-80 दिनांक 17.05.2024 व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर-प्रथम के कार्यालय आदेश क्रमांक 217 दिनांक 06.07.2024 की पालना में पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष पेश हुई। पक्षकारो के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारणा के लिये निर्दिष्ट किये गये है और पक्षकारो ने मामले/विषय पर समझौता/परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबन्धनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय/आदेश पारित किया जाता है :- “प्रार्थी के द्वारा प्रकरण लोक अदालत की भावना से विझों किये जाने के कारण धारा 9 आरबीट्रेशन का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।” 13.07.2024 सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत जयपुर महानगर-1 13.07.2024 अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत जयपुर महानगर-1	

